

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 96/22 (वि.प्रा.पत्र)
GCMS No : 2022/313

1. श्री वक्ता पिता मेगा डांगी निवासी वासयागुडा तुरक्या, विठोली तह. मावली।
.....प्रार्थी

बनाम्

1. श्री अमरा पिता परथा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
2. श्री जगा पिता परथा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
3. श्री दला पिता लुणा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
4. श्री दीपा पिता डुंगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
5. श्रीमती नारी पिता लुणा पत्नी लोगर डांगी निवासी नामरी तह. मावली।
6. श्रीमती मांगीबाई पत्नी लुणा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
7. श्री मेघराज पिता लुणा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
8. श्रीमती मांगीबाई उर्फ माणी पिता परथा पत्नी धना डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
9. श्री हीरा पिता परथा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षीगण

- उपस्थित—**1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 9

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :-

दिनांक : 06.04.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 144, 145, 146, 147, 148 किता 5 रकबा 0.5665 हेक्टेयर उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम 2/3 हिस्सा एवं धन्ना पुत्र पेमा डांगी के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।



2. यह कि मौजा विठोली पटवार हल्का रख्यावल में स्थित आराजी नम्बर 151 रकबा 1.3355 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी सं. 2 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी सं. 3 के नाम 1/16 हिस्सा, विपक्षी सं. 4 के नाम 1/4 हिस्सा, विपक्षी सं. 5 के नाम 1/16 हिस्सा, विपक्षी सं. 6 के नाम 1/16 हिस्सा, विपक्षी सं. 7 के नाम 1/16 हिस्सा, विपक्षी सं. 8 के नाम 1/8 हिस्सा एवं विपक्षी सं. 9 के नाम 1/8 हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं।
3. यह कि प्रार्थी अपने खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में कर रखा है जिसके पश्चिम दिशा में विपक्षीगणों की प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2 में अंकित आराजीयात स्थित हैं तथा विपक्षीगणों की आराजी नम्बर 151 के पश्चिम में आराजी नम्बर 1707/64 है जो प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की हैं। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ता प्रार्थी की आराजी नम्बर 148 के पश्चिम में विपक्षीगणों की आराजी नम्बर 151 के मध्य में होकर सदीप से आते जाते हैं तथा विपक्षीगणों ने अपनी आराजी नम्बर 151 के उत्तर में प्रार्थी के आराजी नम्बर 1707/64 की सीमा पर मकान बना रखा है जिसमें विपक्षी अपनी आराजी नम्बर 151 में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1707/64 में होकर आता जाता हैं।
4. यह कि प्रार्थी को अपनी आराजी नम्बर 148 में आने जाने हेतु प्रार्थी की आराजी नम्बर 1707/64 के पूर्व में विपक्षी के आराजी नम्बर 151 में होते हुए प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 148 में आता जाता है उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी सदीप से करता चला आ रहा हैं। जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसमें रास्ते को लाल रंग से ए टू बी दर्शाया गया है उक्त नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग हैं।

5. यह कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शों में बताया हुआ रास्ता विपक्षीगणों की आराजीयात की पश्चिम दिशा में स्थित प्रार्थी की आराजी में मिलता है तथा प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 1707/64 के उत्तर में होते हुए मूल रास्ते से मिला हुआ है जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात में आता जाता है। उक्त नजरी नक्शों में बताए रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ते से ही आकर प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात जो प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित है जिसमें फसल वगैरा वर्तमान में बोई है लेकिन उक्त रास्ता विपक्षीगणों के खातेदारी में दर्ज होने से विपक्षीगण आए दिन प्रार्थी को जलील व परेशान करते हैं तथा रास्ते को अपने खातेदारी में होने से बन्द कर देते हैं। जिससे मुझ प्रार्थी को काफी परेशानी होती है। इसलिए प्रार्थी अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु लगभग 20 फीट के रास्ते की भूमि को रास्ता कायम कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रार्थी रास्तों में आने वाली भूमि के बदले में विपक्षी को अपनी आराजी नम्बर 151 में जाने हेतु प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 1707/64 में से जो जमीन रास्ते के उपयोग में आ रही है व जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है अथवा रास्ते में उपयोग में आने वाली भूमि की कीमत डी.एल.सी. की रेट अनुसार न्यायालय द्वारा जो भी तय की जावेगी वह विपक्षीगणों को अदा करने को तैयार है इसलिए विपक्षीगणों के खातेदारी की आराजीयात में स्थित रास्ते की भूमि को विपक्षीगणों के खातेदारी से कम कर रास्ता कायम कराया जाना आवश्यक हैं।
6. यह कि विपक्षीगण प्रार्थी से आए दिन उक्त रास्ते की भूमि को लेकर झगडा करते है तथा उक्त रास्ते की भूमि का उपयोग उपभोग करने मे रूकावट पैदा करते है। इसलिए विपक्षीगणों के विरुद्ध स्थगन आदेश इस अण्यक का जारी

कराया जावे कि प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात जो प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित है जिसमें आने जाने में विपक्षीगणों के खातेदारी की आराजी नम्बर 151 के मध्य में सदीप से बने रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी को करने देवे। न उक्त रास्ते की भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करे, उक्त कार्य न तो विपक्षीगण स्वयं करे न अपने परिवारजनों, नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावें।

7. यह कि प्रार्थी का प्राईमाफैसी केस है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है स्थगन आदेश विपक्षीगणों के जारी होने से विपक्षीगणों को कोई नुकसान व क्षति नहीं होगी बल्कि स्थगन आदेश जारी नहीं होने से प्रार्थी को भारी नुकसान व क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नकदी में किया जाना संभव नहीं हैं।
8. यह कि प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 10.07.2022 को पैदा हुआ जब प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात में आने जाने हेतु विपक्षीगणों के खातेदारी में स्थित रास्ते को बन्द करने की धमकी दी तब पैदा होकर निरन्तर जारी हैं।
9. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगणों के विरुद्ध निम्न अण्य का आदेश प्रदान कराया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात में आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शों में लाल रंग से दर्शाये हुए 20 फीट चौड़े रास्ते की भूमि को विपक्षीगणों के खातेदारी से कम कर रास्ता कायम किया जावे उक्त भूमि में कायम किया गया रास्ता राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शों में भी रास्ता अमल दरामद कर तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी सं. 10 को आदेशित किया जावे तथा जो भूमि रास्ते हेतु चाही गई है उसके बदले में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1707/64 की भूमि जो विपक्षीगण अपनी आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ते के रूप में जमीन के बदले जमीन अथवा रास्ते में आने वाली भूमि की कीमल डी.एल.सी. की रेट से न्यायालय द्वारा जो भी तय की जावे वह राशि प्रार्थी से विपक्षी सं. 1 से 9 को दिलाई जावे तो प्रार्थी की आराजी नम्बर

1707/64 में से जो भूमि विपक्षी के लिए रास्ते में जाती है उसकी डी.एल.सी की कीमत प्रार्थी को दिलाई जावे। राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार दिलाई जावे। विपक्षीगणों के विरुद्ध इस अण्य का स्थगन आदेश जारी फरमाया जावे कि प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की आराजीयात जो प्रार्थना पत्र में वर्णित है जिसमें आने जाने में विपक्षीगणों के खातेदारी की आराजी नम्बर 151 के मध्य सदीप से बने रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी को करने देवे। उक्त रास्ते की भूमि को विपक्षीगण विक्रय हस्तान्तरण नहीं करें न रास्ते की भूमि का उपयोग उपभोग करने में प्रार्थी को कोई रूकावट पैदा करें, न रास्ता बन्द करे, उक्त कार्य न तो विपक्षीगण स्वयं करे न अपने परिवारजनों, नौकर चाकर, एजेन्ट इत्यादि से करावे।

10. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 से 9 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 148 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 151 में कोई रास्ता नहीं है ना ही प्रार्थी कभी भी विपक्षीगण की उपरोक्त आराजी में से होकर गया प्रार्थी के कथन की सदीप से रास्ता होकर आते जाते थे मिथ्या व मनगढ़त है क्योंकि विपक्षीगणों की उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमि के चारों ओर बाड़ बन्दी की हुई कोई रास्ता मौके पर ना कभी था ना ही है, प्रार्थी के अभिवचन की आराजी नम्बर 151 के पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थी की खातेदारी जमीन 1707/64 स्थित होना ओर उपरोक्त आराजी में से विपक्षीगणों का उनकी खातेदारी जमीन में जाने के कथन मिथ्या एवं मनगढ़त होने से अस्वीकार है विपक्षीगणों की आराजी नम्बर 151 के आगे पूर्व से सही रास्ता बना होकर मौके पर गांव की ओर से रास्ता चला आ रहा है जो पूर्वतः रास्ता ही है, उसी रास्ते से विपक्षीगण हमारी खातेदारी जमीन पर आते जाते हैं।

11. यह कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 148 से उसकी आराजी संख्या 177/64 में आसानी से आने जाने के लिए विपक्षीगणों की खातेदारी जमीन में से जबरन रास्ता प्राप्त करना चाहता है जबकि मौके पर कोई रास्ता विपक्षीगणों की खातेदारी जमीन से होकर नहीं जा रहा है ना ही पूर्व में हमारी जमीन से कोई रास्ता जा रहा था। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा जिसमें ए टू बी रास्तें होना दर्शित करना काल्पनिक अप्रमाणिक होने से अस्वीकार है जिसका साक्ष्य में कोई महत्व नहीं है प्रार्थी स्वयं साक्ष्य से सिद्ध करावें।
12. यह कि प्रार्थी के अभिवचनों से स्पष्ट है कि उसकी खातेदारी आराजी संख्या 1707/64 के उत्तर दिशा में उसके पास पहले से रास्ता है और प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा ओर उसमें बताया गया रास्ता अप्रमाणिक होने से उसका साक्ष्य में कोई महत्व नहीं है प्रार्थी की आराजी संख्या 148 के साथ प्रार्थी की अन्य आराजीयात कृषि भूमियाँ जुडी हुई है जिससे प्रार्थीगण पूर्व से ही उसकी खातेदारी जमीनों पर आ जा रहा है जिसका जिक्र प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है उसकी अन्य भूमियाँ भी इसी आराजीयात से जुडी हुई है और मौके पर रास्ता पहले से उपलब्ध है इसलिए प्रार्थी के ये अभिवचन की अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है भ्रामक है। विपक्षीगणों ने कभी भी जलील व परेशान नहीं किया ना ही कभी किसी प्रकार विवाद प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हुआ वास्तविकता यह है कि प्रार्थी ने आराजी संख्या 1707/64 में मकान बना दिया है जिससे उसकी अन्य आराजीयात पर जाने का पूर्वतः मार्ग उसे लम्बा लगता है इसलिए व जबरन विपक्षीगणों की खातेदारी जमीन में से रास्ता लेना चाह रहा है। विपक्षीगणों अपनी आराजी संख्या 151 पर पूर्व से बने हुए मार्ग से आते जाते हैं। प्रार्थी की खातेदारी जमीन में से विपक्षीगणों का आना जाना नहीं होता है पूर्वतः रास्ता मौके पर मौजूद है जो गांव की ओर आ रहा हैं। प्रार्थी के पास पूर्व से उसकी खातेदारी

जमीनों पर आने जाने का मार्ग उपलब्ध होने से जमीन के बदले जमीन और सरकारी डी.एल.सी. से रास्ते का मूल्यांकन कर रास्ता दिये जाने का प्रश्न नहीं उत्पन्न नहीं होता है।

13. यह कि प्रार्थी व विपक्षीगणों मध्य रास्ते की भूमि को लेकर कभी कोई विवाद लड़ाई झगडा नहीं हुआ है। प्रार्थी कभी भी आराजी नम्बर 151 से होकर उसकी जमीन पर नहीं गया है ना ही कोई रास्ते के अक्छेप है केवल विपक्षीगणों को परेशान करने व जबरन रास्ता लेने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी ठोस आधार के प्रस्तुत किया हैं। विपक्षीगण अपनी खातेदारी जमीन पर काबिज होकर कस्त कर रहे हैं जिस पर किसी भी प्रकार स्थगन प्राप्त करने का प्रार्थी को कोई हक अधिकार नहीं हैं।
14. यह कि प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं हैं क्योंकि विपक्षीगण हमारी खातेदारी जमीन पर शांति पूर्वक काबिज होकर कस्त कर रहे है प्रार्थी जबरन विपक्षीगणों को परेशान कर रहा है विपक्षीगणों की जमीन पर कोई रास्ता ना पूर्व में था ना ही वर्तमान में है और प्रार्थी को विपक्षीगणों की खातेदारी जमीन पर स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है ना खातेदार के विरुद्ध किसी प्रकार कोई स्थगन आदेश जारी किया जा सकता है अगर किसी प्रकार कोई स्थगन जारी कर दिया जाता है तो विपक्षीगण अपने हक अधिकारों से वंचित हो जायेगें जिससे विपक्षीगणों को अपूरणीय क्षति होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा।
15. यह कि दिनांक 10.07.2022 को प्रार्थी को विपक्षीगणों के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई भी प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि मौके पर कोई रास्ता ही नहीं है तो उसे बंद करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

16. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाही गई सहायता मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता पाने का अधिकारी नहीं है मौके पर प्रार्थी को उसकी खातेदारी जमीनों पर आने जाने के लिए पूर्व से ही रास्ते प्राप्त है केवल मात्र विपक्षीगणों को परेशान करने के लिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी अपनी अन्य जमीनों पर अपने जाने के लिए लम्बी दूरी का रास्ता तय करके नहीं जाना चाहता है उसके पास अन्य मार्ग उपलब्ध होने से केवल मात्र दूरी ज्यादा होने से रास्ते की आवश्यकता के लिए धारा 251 ए राजस्थान कस्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ना ही अन्य मार्ग उपलब्ध होने की अवस्था में उसे अन्य रास्ता दिये जाने के प्रावधान है ऐसी अवस्था में प्रार्थी को उक्त अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार कोई भी रास्ता कानूनन नहीं दिया जा सकता है। विपक्षीगण आराजी नम्बर 151 के स्वतन्त्र खातेदार होकर मौके पर अपने हक हिस्सों पर भाई पांति बंटवारे करके कस्त कर रहे है ऐसी अवस्था में उनके हक अधिकार में दखल देने से विपक्षीगणों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आराजी संख्या 151 पर पूर्व से कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थी द्वारा चाही गई सहायता उसे नहीं दी जा सकती हैं। इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर सब्यय खारिज फरमाया जावें ओर विपक्षीगणों को प्रार्थी से विशेष हर्जा खरचा दिलाया जावें।
17. हमने प्रकरण में तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की।
18. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 9 द्वारा अपनी

बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

19. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :-

1. क्या प्रार्थी खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता है ?

प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी आराजी नम्बर 144, 145, 146, 147, 148 में जाने के लिए वर्तमान में आराजी नम्बर 159 चारागाह, 251 चारागाह, 160 नाला में से होकर अपनी खातेदारी में जाना पड़ता है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर जाने के लिए आराजी नम्बर 151 में से रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है।

2. क्या प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला है।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया है। जो न्यूनतम दूरी का है।

3. यदि प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता है तो वह प्रस्तावित करें।

तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्यांकन प्रस्तुत करें, रास्ते की चौड़ाई भी अंकित की जावे।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी विपक्षी के आराजी नम्बर 151 रकबा 1.3355 हेक्टेयर में से 0.0672 हेक्टेयर अर्थात् 672 वर्गमीटर भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही है जो 112 मीटर लम्बा व 6

मीटर चौड़ा हैं। जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 10,83,918/- अक्षरे दस लाख तिरासी हजार नौ सौ अठारह रूपयें प्रति हेक्टेयर हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 0.0672 हेक्टेयर की कुल कीमत 72,840/- अक्षरे बहत्तर हजार आठ सौ चालीस रूपयें होना बताया है।

20. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी अपनी भूमि मौजा विठोली पटवार क्षेत्र रख्यावल की आराजी नम्बर 144, 145, 146, 147, 148 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 151 में से होकर 20 फीट चौड़ा रास्ता चाह रहे हैं। उक्त रास्ता वर्षों से बना होकर वादग्रस्त आराजीयात के पश्चिम दिशा में होना बताकर प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही इसका उपयोग उपभोग करना बताया है जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक जाता है। विपक्षीगण द्वारा आपत्ति पेश कर निवेदन दिया कि प्रार्थी द्वारा आराजी 151 से रास्ता चाहा गया है परन्तु उक्त आराजी पर कभी कोई रास्ता ही नहीं था एवं प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है जो आराजी नम्बर 159, 251, 160 से होकर गुजरता है। अतः प्रार्थी को आराजी नम्बर 151 में से रास्ता नहीं दिया जा सकता है। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में आराजी नम्बर 159 चारागाह, 251 चारागाह, 160 नाला में से करीब 600 मीटर लम्बाई एवं आराजी नम्बर 151 में से 112 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। चूंकि प्रार्थी को नजदीक दूरी का रास्ता ही दिया जा सकता है। अतः उक्त दोनों प्रस्तावित रास्ते में से नजदीक दूरी का रास्ता आराजी नम्बर 151 में से प्रस्तावित किया है। अतः 112 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौड़ाई का आराजी नम्बर 151 रकबा 1.3355 हेक्टेयर में से 0.0672 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के आने जाने के लिए अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं है। न्यूनतम दूरी वाला 0.0672 हेक्टेयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अन्य प्रस्तावित रास्ता लम्बी दूरी का है जो किस्म चारागाह एवं नाला है। अन्य कोई नजदीक दूरी का रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान कस्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा विटोली पटवार क्षेत्र रख्यावल की आराजी नम्बर 144, 145, 146, 147, 148 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 151 रकबा 1.3355 हेक्टेयर में से 0.0672 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 112 मीटर लम्बाई एवं 6 मीटर चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 10,83,918/— अक्षरे दस लाख तिरासी हजार नौ सौ अठारह रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0672 हेक्टेयर की कुल कीमत 72,840/— का दुगुना 1,45,680/— रूपयें अक्षरे एक लाख पैतालीस हजार छः सौ अस्सी रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर खातेदार विपक्षी सं. 1 से 9 को हिस्सेनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 से 9 को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2023 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली